संख्या 35034/2/2001-स्थापना (घ)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली - 110 001.

दिनांक जून 01, 2001

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के समूह 'घ' सिविल कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन दिए जाने के बारे में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के समूह 'घ' सिविल कर्मचारियों को देय वित्तीय उन्नयन के बारे में संदेह के मुद्दे संख्या 9 के उत्तर में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा अपने दिनांक फरवरी 10, 2000 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 35034/1/97-स्थापना (घ) (खण्ड iv) द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण की वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग के दिनांक फरवरी 12, 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/1/98-आई.सी.-। (प्रति संलग्न) के मद्देनज़र समीक्षा कर ली गई है जिसके द्वारा औद्योगिक और कार्यशाला से संबद्ध श्रेणियों और रेलवे में कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों से भिन्न, अन्य सभी समूह 'घ' कर्मचारियों के संबंध में लागू, संशोधन से पहले के दीर्घीकृत 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रूपए के वेतनमान के प्रतिस्थापन में, 01.01.1996 से 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रूपए का दीर्घीकृत **वेतनमान-2 क** लागू किया गया है । तद्नुसार, यह तय किया गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक अगस्त 09, 1999 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 35034/1/97-स्थापना (घ) द्वारा लागू की गई, सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के समूह 'घ' सिविल कर्मचारियों को **संशोधित पद-क्रम के ग्रेडों/वेतनमानों** में वित्तीय उन्नयन, जहाँ कहीं लागू संशोधित दीर्घीकृत **वेतनमान - 2 क** को ध्यान में रखकर दिए जाएँ बशर्ते कि सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना में विनिर्दिष्ट पदोन्नति के मानदण्डों से जुड़ी अपेक्षाएँ पूरी किए जाने सहित सभी शर्तें पूरी की जा रही हों । फिर भी यह वित्तीय उन्नयन दिया जाना निम्नलिखित के अधीन रहेगा :-

(i) 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर पहला वित्तीय उन्नयन **कम से कम** 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रूपए के **वेतनमान-2 क** में हो ।

.....2/-

(ii) 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर दूसरा वित्तीय उन्नयन **कम से कम** 2750-70-3800-75-4400 रूपए के **वेतनमान - 4** में हो । फिर भी, केन्द्रीय सरकार के जो समूह 'घ' सिविल कर्मचारी मैट्रिक-पास हों और अवर श्रेणी-लिपिक के पद पर पदोन्नति के पात्र हों, उन्हें दूसरा वित्तीय उन्नयन **कम से कम** 3050-75-3950-80-4590 रूपए के **वेतनमान - 5** में दिया जाए ।

2. उपर्युक्त निर्णय, सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना लागू किए जाने की तारीख़ अर्थात् अगस्त 09, 1999 से कार्यान्वित किया जाए ।

3. सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत समूह 'घ' कर्मचारियों को पहले से ही दे दिए गए वित्तीय उन्नयनों की समीक्षा की जाए और उपर्युक्त निर्णय के मद्देनज़र उन्हें संशोधित कर दिया जाए ।

4. कुछ मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में **वेतनमान - 2/वेतनमान - 3** के स्तर पर शुरू में भर्ती किए गए समूह 'घ' कर्मचारियों के निर्धारित शैक्षिक अर्हता अर्थात् मैट्रिक-पास नहीं होने के बावजूद उन्हें सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत अवर श्रेणी लिपिक-ग्रेड का **वेतनमान - 5** दे दिया गया है । ऐसा **उन्नयन ग़लती से दिया गया है, क्योंकि अगस्त 09, 1999 को अधिसूचित, सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना की शर्त संख्या 6 के अनुसार, संगत भर्ती-नियमों/सेवा-नियमों में नियमित पदोन्नति करने हेतु विनिर्दिष्ट किसी शैक्षिक अर्हता सहित,** पदोन्नति के मानदण्डों से जुड़ी सभी अपेक्षाएँ पूरी करना, पद-क्रम के ग्रेडों में वित्तीय उन्नयनों का लाभ दिए जाने के संबंध में अनिवार्य अपेक्षा है । **अतः, ऐसे मामलों की समीक्षा की जाए और पहले से ही कर दिए गए अतिरिक्त भुगतान की तुरन्त वसूली की जाए ।**

5. सभी मंत्रालय/विभाग, इस मामले में सामान्य मार्गदर्शन और समुचित कार्रवाई हेतु इस निर्णय का व्यापक परिचालन करें ।

(कृष्ण कांत झा)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।